प्रेस नोट
दिनांक 13.08.2024

शासन द्वारा 78 वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में भारत के हर घर तिरंगा अभियान किया गया शुरू–

हर घर तिरंगा अभियान के तहत गोण्डा पुलिस द्वारा झण्डा फहराकर किया गया तिरंगे का वितरण–

गोण्डा। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत वर्ष 2022 में हर घर तिरंगा अभियान की शुरूआत की गयी थी। शासन द्वारा इस वर्ष भी 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलिस लाइन में झण्डा फहराकर झण्डा वितरण किया गया। महोदय द्वारा सभी थाना प्रभारियों/चौकी प्रभारितयों को निर्देशित किया गया कि सभी लोग अपने–अपने थानों/चौकियो में 13 से 15 अगस्त तक झण्डा फहराएगें साथ ही तिरंगा लाइट लगायी जायेगी। जनसुनवाई के दौरान झण्डा गीत, राष्ट्र गीत व देश भक्ति गीत बजाया जायेगा तथा अपने–अपने थाना क्षेत्रों में रैली निकालकर आमजनमानस को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के लिए प्रेरित करेंगे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिन–जिन स्थलों/मार्गो पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना प्रस्तावित हो, ऐसे समस्त स्थलों/मार्गो को चिन्हित कर आयोजकों से समयान्तर्गत समन्वय स्थापित कर तद्नुसार सुरक्षा/यातायात एवं शान्ति/कानून व्यवस्था के दृष्टिगत समुचित सुरक्षा प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाये ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की कोई असहज की स्थिति न उत्पन्न होने पाए। महोदय द्वारा बताया गया कि हर घर तिरंगा 2024 अभियान एक राष्ट्रव्यापी पहल है जिसका उद्देश्य हर घर में राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा फहराने को प्रोत्साहित करके भारतीयों में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देना है। यह अभियान व्यापक आजादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में शुरू हुआ, जिसे भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। हर घर तिरंगा अभियान 2024 का उद्देश्य राष्ट्रीय ध्वज के साथ रिश्ते को औपचारिक से व्यक्तिगत बनाना है, जिससे नागरिक अपने राष्ट्र के प्रतीक से गहराई से जुड़ सकें। हर घर तिरंगा 2024 अभियान के तहत उ0प्र0 के नागरिकों को 13 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक झंडा फहराने के लिए आमंत्रित किया गया है। हर घर तिरंगा अभियान भारत की विविधता में एकता के प्रतिनिधित्व के रूप में तिरंगे के महत्व पर प्रकाश डालता है।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 13.08.2024

थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर सुश्री शिल्पा वर्मा के नेतृत्व में थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 294/2024, धारा 137(2), 87, 74, 115(2), 351(3) बीएनएस, 7/8 पाक्सो एक्ट व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त कौसर अली उर्फ शमीर पुत्र समीउल्ला निवासी ग्राम सरकाण्ड थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा को भरियालबेदपुर मार्ग के पास से गिरफ्तार किया गया तथा 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.08.2024 को थाना इटियाथोक क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा थाना खोड़ारे में लिखित तहरीर दी गयी थी कि उसकी नाबालिग लड़की दिनांक 11.08.2024 को देर रात्रि शौच के लिए गयी थी, जहाँ पर पहले से घात लगाये बैठे विपक्षीगण द्वारा आवेदिका की लड़की को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देते हुए मोटर साइकिल पर कुछ दूर ले जाकर छेड़छाड़ व अश्लील हरकत किये, विरोध करने पर उसे मारा पीटा, हल्ला गुहार पर गश्त पर निकले वन विभाग के कर्मी व गांव वालों ने उक्त दोनों लड़कों को पकड़ने का प्रयास किया गया, परन्तु दोनो मोटरसाइकिल छोड़ कर भाग गये। इसके पूर्व भी विपक्षी द्वारा बहला फुसलाकर व शादी का झांसा देकर अपने साथ ले जाने व धर्म परिवर्तन करने का प्रयास एवं किसी को न बताने हेतु जान से मारने की धमकी भी दिए थे। वादिनी की तहरीर पर थाना इटियाथोक पर मु0अ0सं0- 294/2024, धारा 137(2), 87, 74, 115(2), 351(3) बीएनएस, 7/8 पाक्सो एक्ट व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम बनाम कौसर अली आदि 02 के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त कौसर अली उर्फ शमीर को भरियालबेदपुर मार्ग के पास से गिरफ्तार किया गया तथा उक्त घटना में संलिप्त 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जुवेनाइल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. कौसर अली उर्फ शमीर पुत्र समीउल्ला निवासी ग्राम सरकाण्ड थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 294/2024, धारा 137(2), 87, 74, 115(2), 351(3) बीएनएस, 7/8 पाक्सो एक्ट व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 श्री विवेक कुमार
02. उ0नि0 अविनाश कुमार विद्यार्थी
03. हे0कां0 ओमप्रकाश तिवारी
04. हे0कां0 स्वामीनाथ
05. कां0 गुड्डू

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 13.08.2024

थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा जानलेवा हमला करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,

जनपद गोण्डा में अपराध की रोकथाम व अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु श्री विनीत जायसवाल, पुलिस अधीक्षक गोण्डा के द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री चन्द्रपाल शर्मा के नेतृत्व में थाना कटराबाजार पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत में मु0अ0स0-319/2024 धारा 191(2), 191(3), 352, 333, 109(1), 115(2), 351(2), 324(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मैनूद्दीन उर्फ खलील पुत्र स्व0 मो0 शरीफ निवासी ग्राम बैसनपुरवा मौजा रायपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को बैसनपुरवा जाने वाली कच्ची मार्ग से गिरफ्तार कर लिया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी अकबर अली पुत्र जुमई निवासी रायपुर मजरा बैसनपुरवा थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा द्वारा थाना कटराबाजार पर सूचना दी गई कि दिनांक 10.08.2024 को विपक्षीगण एक राय होकर आबादी की जमीनी विवाद को लेकर लाठी डण्डा, फरसा, भाला, बांका व सरिया के साथ घर पर चढ़ आये और गाली गुप्ता देने लगे मना करने पर जान से मारने की नियत उसके परिवारजनों को मार पीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया, प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कटराबाजार में मु0अ0स0-319/2024 धारा 191(2), 191(3), 352, 333, 109(1), 115(2), 351(2), 324(2) बीएनएस बनाम मो0अमीन आदि 07 नफर अभियुक्तों व 4-5 अज्ञात के विरूद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 13.08.2024 को नामजद मैनूद्दीन उर्फ खलील पुत्र स्व0 मो0 शरीफ निवासी ग्राम बैसनपुरवा मौजा रायपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा को बैसनपुरवा जाने वाली कच्ची मार्ग से गिरफ्तार कर लिया गया है। । गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना कटराबाजार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मैनूद्दीन उर्फ खलील पुत्र स्व0 मो0 शरीफ निवासी ग्राम बैसनपुरवा मौजा रायपुर थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 319/2024 धारा 191(2), 191(3), 352, 333, 109(1), 115(2), 351(2), 324(2) बीएनएस थाना कटराबाजार, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 शरद कुमार अवस्थी
02. हे0का0 दयानन्द अवस्थी
03. का0 आनन्द कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक – 13.08.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद के जनप्रतिनिधियों (मा0 सांसद/विधायक) के साथ मासिक विचार विमर्श गोष्ठी की, जनपद के कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ एवं मजबूत बनाने हेतु लिए गए बहुमूल्य सुझाव-

शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 13/08/2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा0 सांसद/विधायकगण) के साथ जनहित एवं कानून व्यवस्था के साथ साथ क्षेत्रीय समस्याओं से संबंधित बिन्दुओं पर मासिक विचार विमर्श गोष्ठी की। जिसमें जनपद की कानून व्यवस्था एवं पुलिस कार्यप्रणाली पर विस्तृत चर्चा की गयी। विचार विमर्श के दौरान समस्त जनप्रतिनिधियों ने कानून व्यवस्था के संबंध में अपने–अपने विचार व्यक्त किये तथा कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने हेतु अपने - अपने सुझाव के साथ साथ जनपद गोण्डा में कानून व्यवस्था व बेहतर पुलिसिंग की सराहना की गई, जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भविष्य में भी कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने का भरोसा दिलाया ।

इस गोष्ठी के दौरान जनपद के मा0 सांसद/विधायक एवं उनके प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

मीडिया सेल, गोण्डा।